हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 12

वीरवार, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्याः 100 से 106 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 107 से 125 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 13 से 16 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा</u>

"मुझे माननीय सदन को सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है, हालांकि मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो भी चुकी होगी लेकिन मैं, मान्य सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश

विधान सभा की ई-विधान प्रणाली को दिनांक 27 फरवरी, 2018 को हैदराबाद में राष्ट्रीय ई-गवर्नैंस पुरस्कार डॉ0 जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इससे पूर्व भी इस प्रणाली को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि CSI-Nihilent National e-Governance award, SKOCH Silver National e-Governance Award and State Civil Services Award, इस उपलब्धि के लिए मैं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री बी.बी.एल. बुटेल जी व विधान सभा सचिवालय को बधाई देता हूं और प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि ई-विधान प्रणाली को आगे बढ़ाने में सहयोग करें"।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मौजूदा सरकार द्वारा जो संस्थान बंद किए जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम इस बात की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ। ये संस्थान जनहित में खोले गए थे। आज का अमर उजाला समाचार-पत्र है जिसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि करसोग और दलाश में बहु-तकनीकी संस्थान बंद किए गए।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"माननीय सदस्य, आप इस पर चर्चा के लिए नोटिस दे दें। नोटिस देकर चर्चा कर ले। नियमों में और व्यवस्थाओं में स्पष्ट प्रावधान है कि बिना किसी नियम के अन्तर्गत दिए गए नोटिस के विषय के बारे में कोई भी सदस्य प्रश्न रेज़ करेगा, वह इस सदन की प्रौपर्टी नहीं होनी चाहिए। यह व्यवस्था मैं स्पष्ट शब्दों में दे रहा हूँ कि बिना नोटिस के कोई भी प्रश्न रेज़ करेगा, वह सदन की प्रौपर्टी नहीं मानी जाएगी "

(माननीय अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट विपक्ष द्वारा 12.05 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(विपक्ष के माननीय सदस्य अपराह्न 12.15 बजे सदन में पुनः उपस्थित हुए ।)

12.15 PM

2. कागज़ात सभा पटल परः

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःका0(प्रशि0)ए(3)-1/2017 दिनांक 10.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 5.01.2018 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सहबद्ध सेवा/पद (वर्ग-III, अराजपत्रित) परीक्षा नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर (एपी)-सी-ए(3)-2/2017 दिनांक 29.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.10.2017 को प्रकाशित ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति का **द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **पंचम कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **षष्टम कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है ।

(4) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** जोकि **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(5) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान-सामान्य चर्चाः

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री हंस राज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु

   श्री जीत राम कटवाल द्वारा हस्तक्षेप

3. श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री

(सदन की बैठक अपराह्न 1.30 बजे दोपहर के भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक भोजनावकाश के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)।

4. श्री राजेन्द्र राणा

5. श्री राजिन्द्र गर्ग
6. श्री विक्रमादित्य सिंह
7. श्री जवाहर ठाकुर

(माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्री के सर्वसम्मति से राज्य सभा का सदस्य चुने जाने पर सदन को सूचना दी गई। तत्पश्चात् सदन की बैठक अपराह्न 3.40 बजे अपराह्न 3.55 तक स्थगित की गई।)

(सदन की बैठक अपराह्न 3.55 बजे माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)।

8. श्रीमती रीता देवी
9. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
10. श्री हीरा लाल
11. श्री राजेश ठाकुर
12. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

(सायं 5.00 बजे सदन की बैठक सायं 6.00 बजे तक बढ़ाई गई।)

13. श्रीमती कमलेश कुमारी

    माननीय सिचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया।

14. श्री मुलख राज
15. श्री आशीष बुटेल
16. श्री जिया लाल

(सायं 6.00 बजे सदन की बैठक सायं 6.30 बजे तक बढ़ाई गई।)

17. श्री रविन्द्र कुमार
18. श्री प्रकाश राणा

(सायं 6.30 बजे सदन की बैठक सायं 7.00 बजे तक बढ़ाई गई।)

19. श्री अरूण कुमार

(सायं 7.00 बजे सदन की बैठक सायं 7.20 बजे तक बढ़ाई गई।)

20. श्री अर्जुन सिंह

(सायं 7.20 बजे सदन की बैठक सायं 7.25 बजे तक बढ़ाई गई।)

सदन की बैठक सायं 7.25 बजे शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।